लघु वित्त बैंकों का ऋण 2 लाख करोड़ के पार होगा

क्रिसिल रेटिंग्स का कहना है कि लघु वित्त बैंकों का ऋण इस वित्त वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपये को पार करने के लिए तैयार है।

यह सालाना आधार पर 16-17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। लिहाजा यह पिछले वित्त वर्ष के 13 प्रतिशत को पार कर जाएगा। क्रिसिल रेटिंग्स ने बताया कि यह उछाल गैर-माइक्रोफ़ाइनैंस खंडों में निरंतर विस्तार के साथ-साथ पिछले वित्त वर्ष में देखी गई गिरावट से माइक्रोफ़ाइनैंस ऋण के लेखा जोखा के बेहतर होने से होगा। रेटिंग एजेंसी ने बताया कि बहरहाल लघु वित्त बैंक लेखा जोखा के निरंतर विकास के लिए तैयार हैं। बीएस

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड
TATA POWER-DDL
टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम
रजि. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइन, किंग्सवे केम्प, दिल्ली–110009
CIN No. U40109DL2001PLC111526, वेबसाइट: tatapower-ddl.com

निविदा सूचना आमंत्रित Oct 29, 2025

टाटा पावर–डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है:

निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	अनुमानित लागत/धरोहर जमा राशि (रु)	बोली दस्तावेज की बिक्री	बोली जमा कराने की अंतिम तारीख और समय/ निविदा खोलने की तारीख और समय
TPDDL/ENGG/ENQ/200001877/25-26 Annual Rate Contract for Supply of 66KV SF6 Circuit Breaker.	1.22 Crs/ 3.06 Lac	31.10.2025	21.11.2025;1500 Hrs/ 21.11.2025;1530 Hrs

शुद्धिपत्र/निविदा तिथि विस्तार

निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	पूर्व प्रकाशित दिनांक	संशोधित निविदा तिथि/बोली जमा कराने की तिथि/बोली खोलने की तिथि
TPDDL/ENGG/ENQ/200001870/25-26 2 Year RC for Supply of 250KVA Aluminium Wound Distribution Transformer.	03.10.2025	05.11.2025 at 1600 Hrs/ 05.11.2025 at 1700 Hrs
TPDDL/ENGG/ENQ/200001867/25-26 RC for Supply of 11 kV Smart RMUs.	27.09.2025	07.11.2025 at 1600 Hrs/ 07.11.2025 at 1630 Hrs

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध
website **www.tatapower-ddl.com**→Vendor Zone →Tender / Corrigendum Documents

NSE
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिस: एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-१, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - ४०० ०५१, महाराष्ट्र, इंडिया

सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियमन ३२(३) के अंतर्गत कंपनियों के इक्विटी शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता के संबंध में सार्वजनिक सूचना।

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ ("असूचीबद्धता विनियम") के विनियमन ३२(३), प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, १९५६ की धारा २१A तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एक्सचेंज") के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार यह **अधिसूचित किया जाता है** कि एक्सचेंज नीचे उल्लिखित कंपनियों को असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखता है। इन कंपनियों ने अपने प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता के लिए निर्धारित मानदंड पूरे कर लिए हैं, क्योंकि इनकी प्रतिभूतियों में लेनदेन, विभिन्न प्रावधानों — सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५ — तथा सेबी/एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के उल्लंघन के कारण छह महीने से अधिक समय तक निलंबित रहा है।

एक्सचेंज ने अपने अभिलेखों के अनुसार कंपनियों के अंतिम ज्ञात पते और पंजीकृत ईमेल पते पर **कारण बताओ नोटिस** जारी किए हैं, जिनमें इन कंपनियों से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उनके इक्विटी शेयरों को एक्सचेंज से अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध क्यों न किया जाए। वेरानियम क्लाउड लिमिटेड को उसके पंजीकृत पते पर भेजा गया कारण बताओ नोटिस दिनांक १९ सितंबर २०२५ को सुपुर्द किया गया था, जबकि गंगोत्री टेक्सटाइल लिमिटेड को उसके पंजीकृत पते पर भेजा गया नोटिस २७ सितंबर २०२५ को सुपुर्द किया गया था। एक्सचेंज के अभिलेखों के अनुसार, कंपनियों के नाम और उनके अंतिम ज्ञात पते नीचे दिए गए हैं।

क्रमांक	कंपनी का नाम	*कंपनी का पंजीकृत पता
१.	वेरानियम क्लाउड लिमिटेड	बी-१४७७, नारायण आर्केड, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग – ४१६५१०, महाराष्ट्र, भारत
२.	गंगोत्री टेक्सटाइल लिमिटेड	२५, २५A, वेंकटाचलम, को-ऑप कॉलोनी, आर.एस. पुरम, कोयंबटूर – ६४१००२, तमिलनाडु, भारत

***पता एक्सचेंज के अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।**

नोट:
अनिवार्य असूचीबद्धता के परिणाम निम्नलिखित हैं:

- उपर्युक्त कंपनियाँ अब स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं रहेंगी। इन कंपनियों की प्रतिभूतियों को एक्सचेंज के डिसेमिनेशन बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- असूचीबद्धता विनियमों के विनियमन ३४ के अनुसार,

१. असूचीबद्धता के पश्चात, संबंधित कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, उसके प्रवर्तकों तथा उनके द्वारा प्रवर्तित अन्य कंपनियाँ—असूचीबद्धता की तारीख से अगले दस वर्षों तक—प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार में प्रवेश नहीं कर सकेंगी, किसी भी इक्विटी शेयर को सूचीबद्ध नहीं करा सकेंगी, और न ही प्रतिभूति बाजार में किसी भी प्रकार के इंटरमीडियरी (मध्यस्थ) के रूप में कार्य कर सकेंगी।

२. ऐसी कंपनी जिसका वास्तविक मूल्य धनात्मक है, उसके लिए —
क. उस कंपनी तथा 'प्रतिभूति जमाकर्ता संस्थानों' को प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह के स्वामित्व वाले किसी भी इक्विटी शेयर के हस्तांतरण (जैसे बिक्री, गिरवी आदि) की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयरों पर लाभांश, राइट्स, बोनस शेयर, स्प्लिट आदि जैसे सभी कॉरपोरेट लाभ तब तक स्थगित (फ्रीज़) रहेंगे, जब तक कि कंपनी के प्रवर्तक, विनियम ३३ के उप-विनियमन (४) के अनुसार, सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास विकल्प प्रदान नहीं करते, जैसा कि संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

ख. अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध की गई कंपनी के प्रवर्तक, पूर्णकालिक निदेशक और प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति तब तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के पात्र नहीं होंगे, जब तक कि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित निकास विकल्प प्रदान नहीं किया जाता।

- असूचीबद्धता विनियमों के विनियमन ३३ के अनुसार:

१. जब किसी कंपनी के इक्विटी शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा असूचीबद्ध किए जाते हैं, तो वह एक्सचेंज एक या अधिक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करेगा, जो असूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयरों का वास्तविक मूल्य निर्धारित करेंगे।

२. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं का एक पैनल तैयार करेगा, और इसी पैनल में से उप-विनियमन (१) के अंतर्गत मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किए जाएंगे।

३. असूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्य उन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा, जिनका उल्लेख सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियमन २० के उप-विनियमन (२) में किया गया है।

४. कंपनी के प्रवर्तकों को, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्धता की तारीख से तीन माह के भीतर, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करके सार्वजनिक शेयरधारकों से असूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयर खरीदने होंगे। हालांकि, सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने शेयर अपने पास रखने का विकल्प रहेगा।

५. यदि प्रवर्तक, उप-विनियमन (४) में निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर उप-विनियमन (३) के अनुसार देय राशि, सभी शेयरधारकों को नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें उन शेयरधारकों को, जिन्होंने अनिवार्य असूचीबद्धता प्रस्ताव के तहत अपने शेयर प्रस्तुत किए हैं, प्रति वर्ष १०% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

प्रस्तावित असूचीबद्धता से प्रभावित कोई भी व्यक्ति **इस सूचना की तिथि से १५ कार्य दिवसों के भीतर, अर्थात् २० नवम्बर २०२५ तक,** अपनी लिखित आपत्ति या अभ्यावेदन एक्सचेंज की असूचीबद्धता समिति को प्रस्तुत कर सकता है।

अभ्यावेदन में प्रस्तुतकर्ता का पूरा संपर्क विवरण (ईमेल आईडी, पता और फोन नंबर) अवश्य दिया जाना चाहिए और इसे निम्न पते पर भेजा जाए:

असूचीबद्धता समिति, लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 'एक्सचेंज प्लाज़ा', सी-१, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – ४०० ०५१
संपर्क नंबर: +९१ २२ २६५९८१०० (एक्सटेंशन ३२०१४), ईमेल: vgandhi@nse.co.in, delisting@nse.co.in, प्रतिलिपि (cc) कृते: dl-insp-enf-delisting@nse.co.in
सभी अभ्यावेदन अनिवार्य रूप से ऊपर उल्लिखित ईमेल पतों पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। किसी भी अनाम अभ्यावेदन को मान्य नहीं माना जाएगा।

कंपनियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि प्रवर्तक(कों)/निदेशक(कों) के विवरण में कोई त्रुटि या असंगति हो, तो वे उपर्युक्त फोन नंबरों या ईमेल पतों के माध्यम से एक्सचेंज से संपर्क करें।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए
स्थान: मुंबई
दिनांक: २९ अक्टूबर, २०२५

Nifty50

जीएसटी प्रक्रिया में होगा सुधार

मोनिका यादव
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर

बड़ा सुधार होगा

- अनुपालन सरल बनाने व रिफंड में तेजी के लिए सरकार की जीएसटी प्रक्रिया में बड़े सुधार की तैयारी
- ई-इनवॉइस, ई-वे बिल और आपूर्तिकर्ता डेटा का उपयोग करके रिटर्न फॉर्म ऑटो-पॉप्युलेट किए जाएंगे
- ऑनलाइन फॉर्म एएसएमटी-10 और एएसएमटी-11 के माध्यम से सिस्टम पर आधारित जांच की जाएगी

सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिसमें डिजिटल जांच, स्वतः रिफंड और डेटा-संचालित रिटर्न फाइलिंग शामिल है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) सुधारों को अंतिम रूप दे रहा है, जिसका मकसद पारदर्शिता में सुधार, अनुपालन को आसान बनाना और व्यवसायों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए त्वरित धन जारी करना सुनिश्चित करना है।

पूरी तरह से ऑटोमेशन की योजना के तहत रिटर्न-फाइलिंग प्रणाली की नए सिरे से डिजाइनिंग की जा रही है। इसके तहत ई-इनवॉइस, ई-वे बिल और आपूर्तिकर्ता फाइलिंग के आंकड़ों का इस्तेमाल करके फॉर्मों को ऑटो पॉपुलेशन में सक्षम बनाया जाएगा। इसका मकसद प्री फाइल्ड रिटर्न पेश करना और मानवीय हस्तक्षेप कम करना है।

इस सिलसिले में वित्त मंत्रालय को भेजे गए ई-मेल का जवाब खबर के प्रकाशन तक नहीं मिला। अधिकारी ने कहा, 'स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह (टीडीएस और टीसीएस) फाइलिंग, इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे पर आयात की घोषणा और आउटवार्ड सप्लाई रिटर्न (जीएसटीआर-1) सहित कई स्रोतों के आंकड़ों को जीएसटी नेटवर्क पर एकत्र किया जाएगा, जिससे एकीकृत डेटा संग्रह तैयार किया जा सके। इस एकीकरण से फाइलिंग सरल होने, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के मिलान में सुधार और सिस्टम पर आधारित जांच के माध्यम से खामियों की तत्काल जानकारी मिलने की संभावना है। इससे एमएसएमई और निर्यातकों के रिफंड की प्रॉसेसिंग मे तेजी लाने और क्रेडिट समाधान में मदद मिलने की भी संभावना है।' साथ ही सीबीआईसी ऑनलाइन फॉर्म एएस-एमटी-10 और एएसएमटी-11 के ऑनलाइन इश्युएंस के माध्यम से डिजिटल जांच व्यवस्था बना रहा है। अन्य अधिकारी ने कहा, 'जीएसटीआर-1, जीएसटीआर3बी और जीएसटीआर 2बी के साथ ई इनवाइस रिकॉर्ड से मिले आंकड़ों की तुलना करके विश्लेषण पर आधारित जांच की जाएगी। एक बार जब सारी खामियों की पहचान कर ली जाएगी, फॉर्म एएसएमटी-10 का ऑटोमेटिक सृजन हो जाएगा और इसे ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। वहीं करदाता स्पस्टीकरण और दस्तावेजों को दाखिल कर सकेंगे।' सुधार का मकसद जांच में एकरूपता सुनिश्चित करना व व्यक्तिगत व्याख्या की संभावना को कम करना है। सूत्रों ने कहा कि आंतरिक जांच अंतिम चरण में है। अगली तिमाही में इसका प्रायोगिक परीक्षण शुरू हो सकता है।

होगी आयात प्रबंधन प्रणाली पर चर्चा

श्रेया नंदी
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर

वाणिज्य और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जल्द ही लैपटॉप और अन्य आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए भारत की आयात प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के भविष्य पर चर्चा शुरू करेंगे। इसकी समयसीमा में करीब एक महीने का समय बचा है।

आईएमएस की शुरुआत दो वर्ष पूर्व नवंबर 2023 में थी। यह लेपटाप, टेबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर के आयात की खेप पर निगरानी करने के लिए शुरू की गई थी। यह मौजूदा प्रणाली 31 दिसंबर, 2025 तक लागू है। उस वक्त सरकार ने कहा था कि निगरानी प्रणाली को आईटी हार्डवेयर उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और अंततः चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए शुरू किया गया था।

आईटी हार्डवेयर की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत कितना उत्पादन हो रहा है, इस पर फैसला निर्भर करेगा। दरअसल, कम से कम दो वैश्विक दिग्गजों अप्रैल 2025 के बाद से भारत में उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

भारत के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण कारक इस सिस्टम के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के नजरिये को ध्यान में रखना होगा। भारत को आयात प्रबंधन प्रणाली की घोषणा के बाद अमेरिका के अलावा अन्य संबंधित साझेदारों के बाद अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

मल्टीमोडल गलियारों के लिए प्राधिकरण

ध्रुवाक्ष साहा
मुंबई, 28 अक्टूबर

राजमार्ग, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाह जैसे परिवहन से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों के बीच तेज और समग्र योजना के लिए सरकार एकीकृत परिवहन योजना प्राधिकरण बनाने पर विचार कर रही है। इससे गलियारे पर आधारित विकास संभव हो सकेगा और संपर्क से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी।

इंडिया मैरीटाइम वीक के दौरान बंदरगाह मंत्रालय में संयुक्त सचिव आर लक्ष्मणन ने कहा, 'अगले दशक के लिए एक कनेक्टिविटी योजना दस्तावेज है। इसके अलावा सरकार एक एकीकृत परिवहन योजना प्राधिकरण बनाने की प्रक्रिया में है। इससे वर्तमान संरचना एक मजबूत संस्थागत ढांचे में बदल जाएगी और परिवहन के विभिन्न माध्यमों में दीर्घकालिक योजना बन सकेगी।'

उन्होंने कहा कि अन्य देशों से इस तरह के सफल उदाहरण मिले हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने पहली बार 9 अप्रैल को एकीकृत प्राधिकरण पर विचार-विमर्श की खबर दी थी।

इसके अलावा सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार सागरमाला 2.0 में नई तकनीकों और हरित बदलाव से जुड़ी परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) मुहैया कराएगी। यह परियोजना अगले दशक तक चलेगी। सागरमाला 2.0 एक नवीनीकृत कार्यक्रम है, जिसमें जहाज निर्माण, मरम्मत, ब्रेकिंग और रीसाइक्लिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य अगले दशक में 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश को प्रेरित करना है, जिसे 40,000 करोड़ रुपये का बजट समर्थन दिया गया है। सरकार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) की तरह नए निवेश मॉडल पर भी काम कर रही है, जिन्हें पहले बंदरगाह क्षेत्र में कभी नहीं आजमाया गया है और सह-निवेश मॉडल पर भी काम कर रही है।

सरकार एकीकृत परिवहन योजना प्राधिकरण बनाने पर विचार कर रही है

सह निवेश मॉडल के तहत, सरकारी बंदरगाह प्राधिकरण, निजी बंदरगाह ऑपरेटरों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से परियोजनाओं में सह निवेशक होंगे। उद्योग को उम्मीद है कि कई मोर्चों पर प्रयास से बंदरगाह अर्थव्यवस्था, बंदरगाहों से बहुत आगे बढ़ेगी और एकीकृत औद्योगीकरण का हिस्सा बनेगी।

दुबई की वैश्विक पोर्ट दिग्गज डीपी वर्ल्ड के मुताबिक बंदरगाह केंद्रित औद्योगीकरण से भारत को उसी तरह लाभ होगा, जैसा कि पश्चिम एशिया को हुआ है। डीपी वर्ल्ड के उत्तरी अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप के सीईओ और प्रबंध निदेशक रिज़वान सूमर ने कार्यक्रम के दौरान कहा, 'जब हमने जेबेल अली पोर्ट शुरू किया था, तो मूलतः ट्रांसशिपमेंट पर विचार किया गया था। हमें जल्द ही एहसास हो गया कि सिर्फ ट्रांसशिपमेंट से कोई फायदा नहीं होगा। हमने जेबेल अली फ्री जोन बनाया। पिछले 25 वर्षों में इसने 11,000 कंपनियों को आकर्षित किया है। फ्री जोन और जेबेल अली पोर्ट का दुबई के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 40 प्रतिशत से ज्यादा है।'

अदाणी पोर्ट्स ऐंड स्पेशल इकनॉमिक जोन भारत की बुनियादी ढांचा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, जो क्लस्टर और विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। कार्यक्रम में बोलते हुए कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी अश्विनी गुप्ता ने कहा कि भारत विश्व के श्रेष्ठ पोर्ट इकोसिस्टम बनने की ओर बढ़ रहा है।

महत्त्वपूर्ण खनिज के लिए कोल इंडिया की कवायद

साकेत कुमार
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर

कोल इंडिया लिमिटेड ने विविधीकरण की रणनीति के तहत घरेलू व विदेशी दोनों स्तरों पर महत्त्वपूर्ण खनिज तक पहुंच हासिल करने की कवायद तेज कर दी है। सरकारी खनन कंपनी दो ग्रेफाइट ब्लॉको के लिए पहले ही तरजीही बोलीदाता के रूप में उभरी है। अब कंपनी खनन मंत्राल की छठे चरण की महत्त्वपूर्ण खनिज की बोली में भाग लेने की तैयारी में है।

कंपनी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'महत्त्वपूर्ण खनिज की क्षमता वाले ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली सहित अन्य इलाकों के खनिज समृद्ध देशों की तलाश की जा रही है।' कंपनी घरेलू नीलामी के मौजूदा दौर में भाग लेने की योजना बना रही है। कंपनी ने कहा, 'कोल इंडिया आगामी किसी भी महत्त्वपूर्ण खनिज नीलामी में भाग लेगा। कंपनी देश के स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन और महत्त्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए साझेदारों की खोज कर रही है।'

लीथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ धातुओं के लिए सीआईएल की नजर विदेशी खदानों पर है। इनका इस्तेमाल स्वच्छ ईंधन तकनीकों, इलेक्ट्रिक वाहनों और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। कंपनी ने कहा कि इस पर कई स्तर पर काम चल रहा है।

कंपनी ने कहा, 'इस तरह की चर्चा और मूल्यांकन को नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (एनडीए) के तहत संरक्षण मिला हुआ है, जिससे गोपनीयता बरकरार रखी जा सके।'

कोल इंडिया को दो घरेलू ग्रेफाइट ब्लॉकों- मध्य प्रदेश में खट्टाली छोटी ग्रेफाइट ब्लॉक और छत्तीसगढ़ में ओरंगा-रेवतीपुर ग्रेफाइट ऐंड वैनेडियम ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता घोषित किया गया है। केंद्र ने अब तक 5 चरणों में 34 महत्त्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है, जबकि छठे चरण में 23 ब्लॉकों को पेशकश की गई है।

इस समय महत्त्वपूर्ण खनिज की तलाश तेज हो गई है क्योंकि विभिन्न देश चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, जिसका इन खनिजों के उत्पादन और प्रसंस्करण में दबदबा है। हाल में चीन ने दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर रोक लगा दी है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप और द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से भारत महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति मजबूत करने को इच्छुक है।

ग्रीन हाइड्रोजन के केंद्र होंगे बंदरगाह

प्राची पिसाल
मुंबई, 28 अक्टूबर

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार देश भर में बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के केंद्रों के रूप में विकसित कर रही है।

सोनोवाल ने कहा, 'पूरे देश में 1.2 करोड़ टन से अधिक ग्रीन हाइड्रोजन पर आधारित ई-ईंधन क्षमता की घोषणा की गई है। हमारे बंदरगाह ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, बंकरिंग और निर्यात के केंद्रों में विकसित हो रहे हैं। प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों के अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के साथ भारत स्वच्छ ऊर्जा

सर्वानंद सोनोवाल,
बंदरगाह व जलमार्ग मंत्री

व्यापार के माध्यम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों को जोड़ने वाले ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर का केंद्र बनने की स्थिति में है।'

जहाजरानी मंत्रालय के सचिव विजय कुमार ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बन रहा है और भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा जारी किए गए टेंडर लागत प्रतिस्पर्धी ग्रीन ईंधन उत्पादन को प्रेरित कर रहे हैं, जिसकी लागत ग्रीन अमोनिया के 571 डॉलर प्रति टन के स्तर पर कम है। यह वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में से एक है। कुमार ने कहा, 'आईएमडब्ल्यू 2025 में कई मंत्रियों ने भारत से ग्रीन अमोनिया, ग्रीन ईंधन के आयात में दिलचस्पी दिखाई है। हममें दुनिया को ग्रीन ईंधन की आपूर्ति करने की क्षमता है, इसलिए हम इसपर काम कर रहे हैं।' भारत ने पहले ही ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर शुरू किया है। हाल में सरकार ने 69,725 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है।

वाढवण पोर्ट के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर

भारत के सबसे बड़े निजी बंदरगाह ऑपरेटर अदाणी पोर्ट्स ऐंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) ने आज वाढवण पोर्ट में निवेश करने के लिए 53,000 करोड़ रुपये के 2 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। कंपनी ने बंदरगाह की अपतटीय परियोजनाओं में भाग लेने के इरादे के लिए 26,500 करोड़ रुपये का एक एमओयू और अतिरिक्त 26,500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कंटेनर टर्मिनलों के विकास के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। बीएस

14वें दौर की खदान नीलामी

कोयला मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदानों की 14वें दौर की नीलामी शुरू करेगा, जिसमें पहली बार नीलामी ढांचे के भीतर भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) के प्रावधान होंगे।

केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह कोयला क्षेत्र में निजी भागीदारी का विस्तार करने की दिशा में एक और कदम है। मंत्रालय ने कहा कि यह नीलामी नए और तकनीक संचालित कंपनियों सहित बोलीदाताओं के एक बड़े पूल को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से खोजी गई और आंशिक रूप से खोजी गई दोनों तरह के कोयला ब्लॉक की पेशकश करेगा। यूसीजी को शामिल करने का मकसद भारत के गहरे कोयला भंडार का दोहन करना है, जिसे पारंपरिक खनन के माध्यम से नहीं निकाला जा सकता है। *बीएस*

जन एसएफबी का आवेदन वापस

सुब्रत पांडा
मुंबई, 28 अक्टूबर

रिजर्व बैंक ने निर्धारित मानदंड पूरा नहीं करने के कारण आवेदन वापस किया

जन स्मॉल फाइनैंस बैंक (एसएफबी) ने मंगलवार को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके यूनिवर्सल बैंक में बदलने के आवेदन को वापस कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने निर्धारित मानदंड पूरा नहीं करने के कारण एसएफबी का आवेदन वापस कर दिया है।

जन एसएफबी ने स्वैच्छिक रूप से यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए इस साल (वित्त वर्ष 26) आवेदन किया था। इससे पहले बैंक की वित्त वर्ष 25 में लगातार दो वर्षों तक सकल गैर निष्पादित संपत्तियां और शुद्ध गैर निष्पादित संपत्तियां क्रमशः 3 प्रतिशत और 1 प्रतिशत से कम थीं। इस ऋणदाता का शेयर बीएसई में 1.72 प्रतिशत गिरकर 448.85 रुपये पर कारोबार कर रहा है। एयू एसएफबी और उज्जीवन एसएफबी के साथ जन एसएफबी छोटे वित्त बैंकों की सूची में शामिल हो गया था। इन छोटे वित्त बैंकों ने रिजर्व बैंक के पास यूनिवर्सल बैंक के लिए आवेदन किया था।

केंद्रीय बैंक ने 2024 में स्मॉल फाइनैंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित करने के लिए नए नियम घोषित किए थे। इस क्रम में एयूएफबी ने बीते साल सितंबर और उज्जीवन एसएफबी ने फरवरी में आवेदन किया था। एयू एसएफबी स्वैच्छिक रूप से यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए अनुमति हासिल करने वाला पहला एसएफबी था और इसे इस साल अनुमति मिली थी। उज्जीवन एसएफबी को रिजर्व बैंक के समक्ष किए गए आवेदन की जानकारी प्रतीक्षित है। रिजर्व बैंक के अनुसार केवल सूचीबद्ध एसएफबी ही यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के आवेदन करने के योग्य हैं।

बीएस सूडोकू 5422

					7		6	
3	6		8			5		
1								
		5		4	3			
				7	2		1	
				1		9	2	
				9		7		4
5								9
8	9				4			

परिणाम संख्या 5421

2	6	9	7	8	3	1	4	5
4	8	1	5	6	9	3	7	2
5	7	3	4	2	1	8	6	9
6	1	5	2	3	8	7	9	4
8	4	2	9	5	7	6	1	3
3	9	7	1	4	6	5	2	8
1	2	4	8	7	5	9	3	6
7	5	6	3	9	2	4	8	1
9	3	8	6	1	4	2	5	7

कैसे खेलें ?
हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की

मुश्किल
★★★★☆

डिस्क्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की